

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार 2017
अति-आवश्यक

क्रमांक: प.12(15)राज-1/2016

जयपुर, दिनांक : 20.04.2017

समस्त जिला कलक्टर्स,
राजस्थान।

विषय:- राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार-2017' दिनांक 08 मई से 30 जून, 2017 के मध्य आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

मा. मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वर्ष 2015-16 में पैरा संख्या 195 एवं 2017-18 में पैरा संख्या 284 पर की गयी बजट घोषणाओं की निरन्तरता में आम नागरिकों को व्यापक स्तर पर राहत दिये जाने हेतु राज्य सरकार की महत्वपूर्ण फ्लेगशिप योजना 'न्याय आपके द्वार' संचालित है। राज्य सरकार के स्तर पर लिये गये निर्णयानुसार इस वर्ष 'राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार-2017' का आयोजन आगामी 08 मई से 30 जून, 2017 तक की अवधि में किया जायेगा।

I- राजस्व लोक अदालतों में सम्पादित किए जाने वाले कार्य :-

1. राजस्व लोक अदालतों में राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 53, 88, 188, 183 के तहत दर्ज मुकदमों एवं इजराज के प्रार्थना पत्र।
2. पत्थरगढ़ी एवं सीमाज्ञान।
3. भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत लम्बित प्रार्थना पत्र एवं नामान्तरकरण तथा धारा-91 की कार्यवाही के संबंध में लम्बित अपीलें।
4. विभिन्न तरह के लम्बितवादों व प्रार्थना पत्रों के परिप्रेक्ष्य में अन्य प्रकार के प्रकरणों को आवश्यकतानुसार लोक अदालतों में विचारण हेतु रखे जा सकते हैं।
5. बंद रास्तों को खुलवाने, संकड़े रास्तों का अतिक्रमण हटाने तथा नये रास्ते दर्ज कराने सहित रास्ता संबंधी समस्याओं का निवारण।
6. ग्राम पंचायत के लम्बित सभी नामान्तरकरणों का निस्तारण।
7. पारिवारिक कृषि भूमि के सहमति से विभाजन के नवीन प्रकरण दर्ज कर अभियान दिवस पर निस्तारण।
8. लम्बित गैर खातेदारी के प्रकरणों में खातेदारी दिया जाना।
9. राजस्व अभिलेखों में लिपिकीय त्रुटियों का शुद्धीकरण।
10. नवीन राजस्व ग्रामों के लिये नोर्स के अनुसार प्रस्ताव तैयार किया जाना।

कृपु...2 पर

राजस्व लोक अदालत के संबंध में राजस्व मण्डल की ओर से समय-समय पर जारी परिपत्रों का गहन अध्ययन कर उपरोक्त प्रकरणों का निस्तारण राजस्व लोक अदालतों में किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

II- राजस्व लोक अदालत अभियान के आयोजन के संदर्भ में की जाने वाली व्यवस्थाएँ :-

राजस्व लोक अदालत अभियान के सुचारु एवं प्रभावी आयोजन के परिप्रेक्ष्य में निम्न व्यवस्थाएँ निर्धारित समय सीमा में सुनिश्चित किया जावें:-

1. राजस्व लोक अदालत के साथ-साथ इस अभियान में व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं से संबंधित विभागों की भी भागीदारी रहेगी, इसलिए यह सुनिश्चित किया जावे कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर राजस्व लोक अदालत अभियान का आयोजन हो सके। इसी के अनुसार शिविर कार्यक्रम जारी किया जावे।
2. आरसीएमएस सॉफ्टवेयर में राजस्व अदालतों में लम्बित/निस्तारित मुकदमों का विवरण (सत्यापित प्रति भिजवाते हुए) अपलोड कराया जावे। पीठासीन अधिकारी द्वारा पोर्टल को देखकर प्रतिदिन यह सुनिश्चित किया जावे कि वास्तविक सूचना का पोर्टल पर अपडेशन सही प्रकार से हुआ है/हो रहा है।
3. जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारीगण/सहायक कलक्टर, अति० जिला कलक्टर, राजस्व अपील अधिकारी/भू-प्रबंध अधिकारी द्वारा राजस्व लोक अदालत के संबंध में राज्य स्तर पर आयोजित आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया गया है, इसकी सुनिश्चितता की जावे।
4. राजस्व लोक अदालत के संबंध में जिला स्तर पर राजस्व अधिकारियों एवं संबंधित कार्मिकों का प्रशिक्षण दिनांक 02.05.2017 से पूर्व आयोजित करवाया जाना।
5. तहसील स्तर पर राजस्व कार्मिकों का प्रशिक्षण एवं निर्देशन दिनांक 04.05.2017 तक।
6. जिला स्तर पर राजस्व लोक अदालतों के आयोजन के संदर्भ में विभिन्न प्रशासनिक तैयारियां दिनांक 05.05.2017 तक पूर्ण की जावें।
7. जमाबन्दियों में लिपिकीय त्रुटियों के चिह्नीकरण एवं लम्बित नामान्तरकरणों के प्रकरणों को चिह्नित किये जाने की दृष्टि से सम्बन्धित ग्राम पंचायत पर राजस्व लोक अदालत अभियान से पूर्व ग्राम पंचायत के सभी राजस्व ग्रामों की जमाबन्दी का पठन कर प्रकरणों का चिह्नीकरण किया जाकर आवेदन पत्र तैयार करा लिये जावें, जिससे अभियान के दिवस निस्तारण सम्भव हो सके। इस हेतु सम्बन्धित पटवारी एवं भू-अभिलेख निरीक्षक का कार्यक्रम पूर्व में निर्धारित किया जावे।
8. तहसील/उपखण्ड/जिला स्तर पर प्रतिदिन निस्तारित होने वाले प्रकरणों की संख्या व अन्य सूचनाओं के एकत्रीकरण हेतु नियंत्रण कक्ष का गठन व प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति दिनांक 05.05.2017 से पूर्व की जावे।

कृपउ...3 पर

9. राजस्व लोक अदालतों के विचारण हेतु प्रकरणों का चिह्नीकरण एवं पत्रावलियों की छँटनी।
10. छँटनी किये गये मुकदमों में सभी सम्बन्धित पक्षकारान को सुनवाई हेतु सूचना पत्र जारी किया जाना।
11. पंचायत समिति से संबंधित जनप्रतिनिधियों (मा.सांसद, मा.विधायक, जिला प्रमुख एवं प्रधान) को ग्राम पंचायतवार शिविर/कैम्प कार्यक्रम की प्रति प्रेषित किया जाना।
12. राजस्व लोक अदालतों के कार्यक्रम की प्रति स्थानीय बार एसोसियेशन को दिनांक 30.04.2017 तक उपलब्ध कराया जाना।
13. जिला स्तर पर 'राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार-2017' का इलेक्ट्रानिक/प्रिंट मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावे।
14. पारिवारिक कृषि भूमि के सहमति से विभाजन के नवीन प्रकरण दर्ज कर अभियान दिवस पर निस्तारण तथा इस हेतु पटवार मण्डल स्तर पर पूर्व तैयारी।

भवदीय




(आलोक)

प्रमुख शासन सचिव

निर्देशानुसार प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, सचिव (द्वितीय), मा० मुख्यमंत्री।
2. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मा. मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिव।
3. समस्त निजी सहायक, मा० सांसद/विधायक/जिला प्रमुख/प्रधान। (द्वारा संबंधित जिला कलक्टर)
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव राज०।
5. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्व मण्डल राज० अजमेर।
6. समस्त निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. प्रमुख शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, राजस्व विभाग।
8. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
9. समस्त राजस्व अपील प्राधिकारी/भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी राज० (द्वारा संबंधित जिला कलक्टर)
10. आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर।
11. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
12. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. निदेशक, राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर रोड, अजमेर।
14. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, राजस्व व उपनिवेशन विभाग।
15. रक्षित पत्रावली।


(सांवरमल वर्मा) (1)
संयुक्त शासन सचिव